प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 21.04.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही ।**
- **थाना शिवली पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 02 नफर शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व नाल में फंसा हुआ 01 अदद खोखा कारतूस मय 04 अदद जिंदा कारतूस कारतूस 12 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट रंग काला बरामद हुये।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 20.04.2025 को थाना शिवली पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत खखरा पुल से ग्राम खखरा जाने वाले रास्ते पर गस्त/चेकिंग के दौरान पुरानी बंदशुदा फैक्ट्री के पास एक मोटर साइकिल पल्सर (बिना नम्बर प्लेट) पर सवार दो व्यक्ति आते हुये दिखायी दिये, उन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस की जीप को देखकर अपनी मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिरने से दोनों व्यक्ति भी गिर गये। मोटरसाइकिल को वहीं पड़ा छोड़कर दोनों व्यक्ति उठकर बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ भागने लगे। जब पुलिस टीम ने उन्हें पकडने के लिये आगे बढ़ी तो उनमें से 01 व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची। तभी पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को चारों तरफ से घेरकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए ग्राम खखरा जाने वाले रास्ते पर पुरानी बंदशुदा फैक्ट्री के सामने समय रात्रि 22.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। जब दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ राजपूत पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम माण्डा मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 23 वर्ष बताया (जिसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया)। जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर, तमंचे की नाल में फंसा हुआ फायर किया गया खोखा कारतूस व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुये। व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम हिमाँशू उर्फ लुक्का पुत्र महेश निवासी ग्राम भक्तिनपुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष बताया। जिसकी तलाशी से 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पल्सर (बिना नम्बर प्लेट रंग काला) को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सौरभ राजपूत पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम माण्डा मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 23 वर्ष
2. हिमाँशू उर्फ लुक्का पुत्र महेश निवासी ग्राम भक्तिनपुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 16.04.2025 को हम लोगों का भक्तिनपुरवा में गांव के हरजनों से झगड़ा व मारपीट हो गयी थी जिसके संबंध में थाना शिवली पर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था तथा इसी बजह से थाना शिवली पुलिस हम लोगों को खोज रही थी। दिनांक 20.04.2025 की रात्रि में, पकड़े जाने के डर से मैं अपने साथी हिमाँशू उर्फ लुक्का के साथ कानपुर जा रहा था कि तभी रास्ते में पुलिस की जीप दिखायी दी जिसे देखकर हम लोगों ने पकड़े जाने के ड़र से वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया परंतु जल्दबाजी में मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी और जिससे हम लोग गिर गये। पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखकर हम लोग मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे तथा पकड़े जाने के डर से, हमारे पास जो तमंचा था उससे पुलिस पर फायर कर दिया था।

बरामदगी का विवरण –

1. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल पल्सर (बिना नम्बर प्लेट रंग काला) को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।
2. 01 अदद देशी तमंचा, नाल में फंसा हुआ 01 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर- अभियुक्त सौरभ उपरोक्त के कब्जे से।
3. 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर- अभियुक्त हिमाँशू उर्फ लुक्का उपरोक्त के कब्जे जे।

अभियुक्त सौरभ राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 147/2024 धारा 147/323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 124/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस व 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 85/2025 धारा 115(2), 333, 352 बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 423/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 126/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त हिमाँशू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस व 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 126/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. का0 654 विनय सिसौदिया थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
3. का0 538 रोहित कुमार थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
4. का0 246 शैलेन्द्र चौधरी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।